रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 230] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 3, 2013/भाद्र 12, 1935
No. 230] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 3, 2013/BHADRA 12, 1935

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2013

सं.एल.-7/143/158/2012-के.वि.वि.आ.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 178 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने तथा अन्य सहबद्ध विषयों के लिए प्रक्रिया, निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2009 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'मूल विनियम' कहा गया है) का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने तथा अन्य सहबद्ध विषयों के लिए प्रक्रिया, निबंधन एवं शर्तें) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013 है;

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. **मूल विनियम के विनियम 9 का संशोधन.**— (1) मूल विनियम के विनियम 9 के खंड (ख) में, 'अंतःराज्यिक व्यापार' शब्दों के पश्चात् 'अंतरराज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति के आधार पर' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(2) मूल विनियम के विनियम 9 में, परंतुक सहित खंड (ख क) को हटा दिया जाएगा।

(3) मूल विनियम के विनियम 9 के खंड (ख ग) में, 'अंतःराज्यिक व्यापार' शब्दों के पश्चात्, 'अंतरराज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति के आधार पर' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे तथा 'प्रत्येक वर्ष के 31वें मई तक' शब्दों के पश्चात् 'फार्म VI-ट के अनुसार' शब्द जोड़े जाएंगे।

(4) मूल विनियम के विनियम 9 के खंड (ग) में, 'अंतःराज्यिक व्यापार' शब्दों के पश्चात 'अंतरराज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति के आधार पर' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

3. **मूल विनियम के विनियम 10 के खंड (3) में संशोधन.**—(1) मूल विनियम के विनियम 10 के खंड (3) में 'अंतःराज्यिक व्यापार' शब्दों के पश्चात् 'अंतरराज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति के आधार पर' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

4. **नए विनियम का अंतःस्थापन.**—(1) मूल विनियम के विनियम 16 के पश्चात् निम्नलिखित नया विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

"16क. जहां कहीं अनुज्ञप्तिधारियों से इन विनियमों के अधीन अपनी वेबसाइट पर जानकारी डालने की अपेक्षा की जाती है, वहां अनुज्ञप्तिधारियों से केवल संपरिवर्तित पीडीएफ फार्मेट में न कि दस्तावेजों की प्रतिकृतियों में, ऐसी जानकारी डालने की अपेक्षा की जाएगी।"

5. **मूल विनियम से संलग्न फार्मो का संशोधन.**— (1) मूल विनियम के फार्म-1 (अंतरराज्यिक व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु आवेदन) को इन विनियमों के साथ संलग्न पुनरीक्षित फार्म-1 (अंतराज्यिक व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु आवेदन) से बदला जाएगा।

(2) मूल विनियम से संलग्न फार्म-IV-1 को हटा दिया जाएगा।

(3) मूल विनियमों के फार्म 4- ञ के पश्चात्, एक नया फार्म, फार्म-IV-ट जोड़ा जाएगा।

ए. के. सक्सेना, प्रमुख (इंजीनियरिंग)

[विज्ञापन–III/4/असाधारण/150/13]

टिप्पणी : मूल विनियमों को भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग III, खंड 4, संख्या 28 में तारीख 24-2-2009 को प्रकाशित किया गया था और उन्हें निम्नानुसार संशोधित किया गया :

(क) भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग III, खंड 4, तारीख 2-6-2009 में प्रकाशित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने तथा सहबद्ध विषयों के लिए प्रक्रिया, निबंधन एवं शर्तें) (संशोधन) विनियम, 2009.

(ख) भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग III, खंड 4, संख्या 197, तारीख 23-10-2009 में प्रकाशित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने तथा सहबद्ध विषयों के लिए प्रक्रिया, निबंधन एवं शर्तें) (द्वित्तीय संशोधन) विनियम, 2009.

(ग) भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग III, खंड 4, संख्या 152, तारीख 7-6-2010 में प्रकाशित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने तथा सहबद्ध विषयों के लिए प्रक्रिया, निबंधन एवं शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2010; तथा

(घ) भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग III, खंड 4, संख्या 224, तारीख 11-10-2012 में प्रकाशित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने तथा सहबद्ध विषयों के लिए प्रक्रिया, निबंधन एवं शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2010.

फार्म-I

अंतरराज्यिक व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र

1. आवेदक का नाम :
2. पताः
   (क) रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पताः
   (ख) पत्राचार के लिए पता:
   (ग) वेबसाइट का पताः
3. संपर्क व्यक्ति का नाम, पदनाम और पता:
4. संपर्क टेलीफोन नंबर:
5. फैक्स नंबर:
6. ई-मेल आईडी:
7. आवेदक की स्थितिः
   (क्या वह भारत का नागरिक है या भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) के अंतर्गत पंजीकृत साझेदारी फर्म या कंपनी अधिनियम, 1956(1956 का 1) के अंतर्गत समाविष्ट कंपनी या व्यक्तियों की कोई ऐसी संगम या निकाय है जो भारत के नागरिक हैं भले ही भारतीय विधि के अंतर्गत ये समाविष्ट हैं या नहीं हैं या कृत्रिम विधिक व्यक्ति हैं। यदि सूचीबद्ध कंपनी है तो उस स्टॉक एक्सचेंजों का नाम जिसमें सूचीबद्ध किए गए हैं और नवीनतम शेयर कीमत दी जाए)
8. समामेलन /रजिस्ट्रीकरण का स्थान:
9. समामेलन/ रजिस्ट्रीकरण का वर्ष:
10. संगम ज्ञापन का वह खंड जिसमें विद्युत में अंतरराज्यिक व्यापार को प्राधिकृत किया गया है (सुसंगत भाग का उल्लेख करें)
11. क्या संगम ज्ञापन विद्युत के पारेषण को प्राधिकृत करता है। यदि हाँ तो सुसंगत भाग का उल्लेख करें:
12. (क) प्राधिकृत शेयर पूंजी
   (ख) जारी की गई शेयर पूंजी
   (ग) अभिदत्त शेयर पूंजी
   (घ) समादत्त शेयर पूंजी
   टिप्पण: निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न की जाएगी:
   (क) समामेलन/रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र
   (ख) व्यवसाय आरंभ करने के लिए प्रमाणपत्र, जहां लागू हो
   (ग) संगम ज्ञापन तथा संगम अनुच्छेद
   (घ) आवेदक की प्रतिबद्धता के लिए हस्ताक्षरकर्ता के पक्ष में मूल पावर ऑफ अटार्नी
13. आवेदित अनुज्ञप्ति की श्रेणी
14. व्यापार किए जाने के लिए आशयित ऊर्जा की मात्रा
15. व्यापार का क्षेत्र:
   भौगोलिक क्षेत्रों का वर्णन जिसमें आवेदक का विद्युत में अंतरराज्यिक व्यापार आरंभ करने का प्रस्ताव है
16. (i) आवेदन की तारीख से पूर्व पिछले वर्ष के लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार नेटवर्थ (शुद्ध धन)(यदि लागू हो)

(ii) आवेदन के साथ संलग्न विशेष तुलन पत्र को तैयार करने की तारीख को नेटवर्थ (शुद्ध धन)

17. (i) आवेदन की तारीख से पूर्व पिछले वर्ष के लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार वर्तमान अनुपात (यदि लागू हो)

(ii) आवेदन के साथ संलग्न विशेष तुलन पत्र को तैयार करने की तारीख को वर्तमान अनुपात

18. (i) आवेदन की तारीख से पूर्व पिछले वर्ष के लेखापरीक्षित लेखों के अनुसार लिक्विडिटी अनुपात (यदि लागू हो)

(ii) आवेदन के साथ संलग्न विशेष तुलन पत्र को तैयार करने की तारीख को लिक्विडिटी अनुपात

19. आवेदन करने की तारीख को शेयर होल्डिंग के ब्यौरे (प्रत्यक्ष रूप से आवेदक या उसके संबंधियों के 5% या उससे अधिक के शेयरों को रखने वाले प्रत्येक शेयरधारकों का ब्यौरा दें)

(क) शेयर धारक का नाम

(ख) नागरिकता

(ग) आवासीय स्थिति

(घ) धारित शेयरों की संख्या

(ङ) कंपनी की कुल समादत्त पूंजी की प्रतिशतता

20. (i) आवेदन की तारीख से पूर्व पिछले वर्ष के लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार वार्षिक टर्नओवर (यदि लागू हो)

(ii) आवेदन के साथ संलग्न विशेष तुलन पत्र को तैयार करने की तारीख को टर्नओवर

21. आवेदक की संगठनात्मक और प्रबंधकीय क्षमता : आवेदक से अपेक्षा की जाती है कि वह प्रस्तावित कार्यालय एवं प्रेषण सुविधाओं आदि के लिए विभिन्न कार्यपालकों के ब्यौरे एवं अपनी संगठनात्मक संरचना के रूप में इन विनियमों के अनुसार अपनी संगठनात्मक एवं प्रबंधकीय क्षमता का सबूत संलग्न करें।

22. दृष्टिकोण एवं प्रणाली : आवेदक से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने द्वारा यथा प्रस्तावित व्यापार व्यवस्थाओं की स्थापना के लिए दृष्टिकोण एवं प्रणाली को वर्णित करे।

23. अन्य जानकारी

(क) क्या आवेदक या उसका कोई सहयुक्त, या भागीदार, या संप्रवर्तक, या निदेशक दिवालिया घोषित किया गया है? यदि हां, तो उसका ब्यौरा। चाहे वे उसके लिए निर्मोचित नहीं किए गए हैं;

(ख) आवेदन करने के वर्ष तथा आवेदन करने के ठीक तीन पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान आवेदक, या उसका कोई सहयुक्त, या भागीदारी, या सप्रवर्तक या निदेशक की नैतिक अधमता, कपट या आर्थिक अपराध की दोषसिद्धि पर रहने के परिणामस्वरूप मामलों के ब्यौरे तथा ऐसी दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप कारावास, यदि कोई हो, से उपरोक्त व्यक्ति को निर्मुक्त करने की तारीख ;

(ग) क्या आवेदक या उसके किसी सहयुक्त, या भागीदारी, या संप्रवर्तक या निदेशक को कभी अनुज्ञप्ति देने से इंकार किया गया था । यदि हां, तो आवेदन करने की तारीख, इंकार करने की तारीख और इंकार करने के कारणों का ब्यौरा दें ;

(घ) क्या आवेदक के पास पारेषण अनुज्ञप्ति है। यदि हां, तो उसका ब्यौरा दें ;

(ङ) क्या आयोग ने आवेदक, या उसके किसी सहयुक्त, या भागीदार, या संप्रवर्तक या निदेशक की अनुज्ञप्ति रद्द करने का आदेश पारित किया है ;

(च) क्या आवेदक, या उसके किसी सहयुक्त, या भागीदार, या संप्रवर्तक या निदेशक को अधिनियम, या उसके अधीन किसी कार्यवाही में बनाए गए नियमों तथा विनियमों के किन्हीं उपबंधों या समुचित आयोग द्वारा किए गए आदेश के उल्लंघन का दोषी पाया गया है। यदि हां, तो उसका ब्यौरा दें।

24. संलग्न दस्तावेजों की सूची : दस्तावेजों का नाम

(क) ....

(ख) ....

(ग)......................................

(घ)....................................

(आवेदक या प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर)

स्थान:

दिनांक:

फार्म-IV-ट

व्यापार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा द्विपक्षीय एवं पावर एक्सचेंज संव्यवहारों की वार्षिक विवरणी

व्यापार अनुज्ञप्तिधारी का नाम :

अनुज्ञप्ति का ब्यौरा (संख्या एवं तारीख) :

वित्तीय वर्ष :

1.	अंतरराज्यिक द्विपक्षीय संव्यवहार		
	संव्यवहारित कुल वार्षिक मात्रा (एमयू में)	संव्यवहारित कुल वार्षिक मात्रा (रु. में)	प्रभारित कुल वार्षिक व्यापार मार्जिन (रु. में)

2.	पावर एक्सचेंज संव्यवहार		
	संव्यवहारित कुल वार्षिक मात्रा (एमयू में)	कुल संव्यवहारित वार्षिक मात्रा (रु. में)	प्रभारित कुल वार्षिक व्यापार मार्जिन (रु. में)

3.	नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र व्यापार (आरईसी)		
	संव्यवहारित आरईसी की कुल वार्षिक मात्रा (आरईसी की संख्या)	संव्यवहारित आरईसी की कुल वार्षिक मात्रा (रु. में)	आरईसी पर प्रभारित कुल वार्षिक व्यापार मार्जिन (रु. में)